

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 १५/११-२०१९ राँची, दिनांक १६.०६.२०१९
प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कुल ₹52.51 लाख (रुपये बावन लाख इकावन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कुल ₹52.51 लाख (रुपये बावन लाख इकावन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

I. प्रमण्डल का नाम :-रूपांकण प्रमण्डल सं०-2, मेदिनीनगर

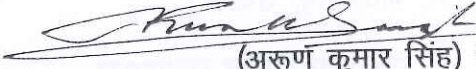
(लाख रु० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	TAC की अनुशंसा	SRC की अनुशंसा	SRC द्वारा अनुशंसा राशि	प्राक्कलित राशि
i.	सिगसिगी गाँव के नजदीक कोयल नदी द्वारा रैयती जमीन के कटाव से बचाव हेतु कटाव निरोधक कार्य।	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति की अनुशंसा एवं कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू के पत्र के आलोक में Edge Crated Boulder Pitching (upto H.F. + Free Board) कार्य की अनुशंसा की जाती है।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 60.00	₹ 52.51
सकल योग :-				₹ 60.00	₹ 52.51

3. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण कराया जायेगा।
4. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-
मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण के अंतर्गत भारित होगा।
5. कडिका-(2) में उल्लेखित कार्य संबंधित प्रमण्डलों द्वारा कराया जाएगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस कार्य के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में उपबंध है।
8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
10. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची की स्वीकृति प्राप्त है।
11. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार सिंह) 10.6.19

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 04/17-20 ५:२९/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 04/17-20 ५:२९/ राँची, दिनांक 18.06.2019

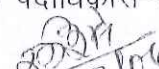
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 04/17-20 ५:२९/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०-2, मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 04/17-20 ५:२९/ राँची, दिनांक 18.06.2019

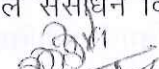
प्रतिलिपि :- उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 04/17-20 ५:२९/ राँची, दिनांक 18.06.2019

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(रमेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव